न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित–शिव कुमार सिंह, ...(एच०जे०एस०)

JO CODE– UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–291/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–738/2026

CNR UPLP 0100 1339 2026

अजय उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र जगदीश निवासी बहेलियन टोला, महेवागंज थाना कोतवाली सदर जिला–खीरी।

............प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

............विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–117/2026
धारा–317(2), 317(5) बी०एन०एस०
थाना–कोतवाली सदर, जिला–लखीमपुर खीरी।

<u>11.03.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अजय की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–117/2026, अन्तर्गत धारा–317(2), 317(5) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली सदर, जिला–लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा उ०नि० आदित्य कुमार मौर्य ने दिनांक 15.02.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक–14.02.26 को उ०नि० आदित्य कुमार मौर्य मय हमराह उ०नि० संतोष कुमार शुक्ला, उ०नि० डिम्पल कुमार, हे०कां० मसूर अन्नी, हे०का० सुशील कुमार, का० विकास कुमार, कां० अमरजीत, का० गौरव पाठक व का० जोनी के मय सरकारी जीप रजि०सं०– UP31G 0432 व अपने–अपने निजी वाहन से बहवाले रपट सं०–65/66 वास्ते देखभाल क्षेत्र व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन आदि कार्यसरकार के दौरान सैंधरी बाईपास तिराहा पर मामूर थे तथा सभी पुलिसकर्मी आपस में रोकथाम अपराध व अपराधियों के बारे में वार्ता कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल लेकर शारदानगर निघासन रोड की तरफ से लखीमपुर शहर की

ओर आ रहा है। यदि आप लोग जल्दी करें तो उसे गाड़ी सहित पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर पुलिसवाले मुखबिर को साथ लेकर ओदरहना पुलिया निघासन रोड की ओर आगे बढ़े तथा अपनी पुलिस टीम को सिखलाई के तरीके से घेराबंदी की बात बताकर सख्ती से वाहन चैकिंग शुरु की गयी तो एक व्यक्ति निघासन रोड की तरफ से लखीमपुर शहर की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा था मुखबिर ने कुछ दूर पहले इशारा करके बताया कि वह व्यक्ति जो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल रंग काला तथा पीले रंग की जैकेट पहने मोटरसाइकिल सवार सवार ही चोरी की मोटरसाइकिल से आ रहा है। इशारा करके मुखबिर वापस चला गया। सघन वाहन चैकिंग के दौरान आती हुयी मोटर साइकिल को रोका गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हड़बड़ा गया तथा उस मोटर साइकिल से सम्बन्धित कागज तलब किया गया तो वाहन से सम्बन्धित कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सका। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नियमानुसार जामा तलाशी लेते हुये नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम जिलाउद्दीन बताया गाडी के सम्बन्ध में पूछने पर कोई माकूल जवाब नहीं दे सका। सख्ती से पूछताछ पर बताया कि यह गाड़ी चोरी की है गाड़ी का कोई कागज उसके पास नहीं है इस गाड़ी का नं० UP31 BW 6791 स्पलेण्डर प्लस रंग काला है, जो उसने महेवागंज में ग्रीन हास्पिटल के सामने से दो दिन पहले चोरी की थी। मौके पर ही और कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि गाड़ी चोरी करने में उसके अन्य साथी रामभूखन, अक्षय कुमार व अजय ने मिलकर अलग-अलग जगहों से अब तक कुल 04 दोपहिया गाड़ियों की चोरी की है, जो इस समय एक जगह लिलौटीनाथ मंदिर के पास खेत में बनी झोपड़ी छप्पर में छुपाकर बेचने हेतु रखी गयी है तथा उसके अन्य साथी भी वहीं पर मौजूद हैं और उसका व पिकअप गाड़ी जो कि वह शहर से किराये पर लेने जा रहा था कि आप लोगों ने उसे पकड़ लिया है अब वह लोग उसका इन्तजार कर रहे हैं जिससे कि वे लोग उन गाडियों को पिकअप में लादकर दूसरे शहर में बिक्री करके अपना-अपना हिस्सा ले लेते। पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को ई-चालान एप से चैक किया गया तो वाहन रजि०सं०- UP31BW 6791 जिसका इंजन नं०- HA11EDNHE44662 व चैसिस नं०-MBLHAW124N HE20083 पाया गया, जो दिलदार खान पुत्र मो० हामिद खान नि० ग्राम हजरतपुर श्रीनगर थाना फूलबेहड़ जिला खीरी के नाम पंजीकृत है तथा जानकारी करने पर उक्त बरामद वाहन थाना स्थानीय के मु०अ०स०-114/2026 धारा-303 (2) बी०एन०एस० से सम्बन्धित है। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुये कि उसका यह अपराध धारा 303(2), 317(2), 317(5) बी०एन०एस० के तहत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त उपरोक्त को समय 02.21 बजे ओदरहना पुलिया से हिरासत से हिरासत पुलिस लिया गया

कड़ाई से पूछताछ के क्रम में बताया कि तीन दिन पहले एक मोटर साइकिल जिसका रजि०नं० UP31BJ 7915 हीरो एचएफ डीलक्स, जो शिवपुरी कालौनी गंगा हास्पिटल एण्ड फिजियोथेरेपी के बाहर से उसने चुराया था तथा चुराने में उसके साथ रामभूखन शामिल था। इस मोटरसाइकिल को उसने चुराकर रामभूखन को दे दिया था, जो लिलौटी नाथ मंदिर के पास खेत में बने छप्पर में 02 अन्य गाड़ियों के साथ बेचने हेतु छुपाकर रखा गया है। मौके से अभियुक्त जिलाउद्दीन की निशानदेही पर बताये गये स्थान लिलौटी नाथ मंदिर के पास खेत में बने छप्पर की ओर बरामदगी हेतु प्रस्थान किया गया व बताये गये स्थान पर पहुँचे तो खेत में बने छप्पर में तीन अन्य मोटर साइकिल रखी थी तथा अन्य 03 व्यक्ति चौरी की गाड़ियों को पिकअप में लादकर ले जाने के लिये इन्तजार कर रहे थे कि पुलिसबल द्वारा मौके पर ही गाड़ियों के साथ बैठे तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गाडियों के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ पर गाड़ी नं०-UP31BJ7915 हीरो एचएफ डीलक्स लिये हुये व्यक्ति ने अपना नाम रामभूखन बताया तथा मौके पर और कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि तीन दिन पहले जिलाउद्दीन के साथ मिलकर गंगा हास्पिटल शिवपुरी से यह गाड़ी चोरी किया था, गाड़ी चुराकर जिलाउद्दीन उसे लाकर निघासन रोड पर दिया था, जो उसने बेचने के लिये यहां पर रखी थी। बरामद गाड़ी UP31 BJ 7915 हीरो एचएफ डीलक्स को अपने ई-चालान एप से चैक किया गया, जिसका इंजन नं०-HA11EMLHA02147, चैसिस नं०-MBLHAC026LHA02220 जो राजकुमार पुत्र श्री राम खिलावन नि० सुहेला वकई लखीमपुर खीरी के नाम पंजीकृत होना पाया गया जो थाना स्थानीय के मु० अ०सं० 113/2026 धारा-303(2) बी०एन०एस० से सम्बन्धित है। मौके पर पकड़े गये व्यक्तियों में से हीरो स्पलेण्डर प्लस लिये हुये व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना नाम अक्षय कुमार बताया तथा पकड़े गये अक्षय उपरोक्त से बरामद मो०सा० की नम्बर प्लेट पर कोई नं० अंकित नहीं है। बरामद मो० सा० को मौके पर ही ई-चालान ऐप के माध्यम से वाहन के चैसिस पर अंकित नं० MBLHAW129 NHA32881 से मिलान किया गया तो उक्त मो० सा० का इंजन नं० HA11EDNHA1 1732, चैसिस नं०- MBLHAW129NHA32881 व रजि० सं०-UP31BV1383 जो आदेश कुमार पुत्र वीरेन्द्र पाल नि० कालाडुण्ड लकेसर थाना फरधान जिला खीरी के नाम से पंजीकृत होना पाया गया। मौके पर ही अभियुक्त अक्षय उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि यह गाड़ी उसने जिलाउद्दीन के साथ मिलकर करीब 08 माह पहले पैराडाईज हाल के पास श्याम नगर कालोनी से चोरी की थी। उक्त बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना कार्यालय से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी जो थाना स्थानीय के मु०अ०सं०-583/2025 धारा-303(2) बी०एन०एस से

सम्बन्धित होना पाया गया। मौके पर पकड़े गये व्यक्तियों में से मोटर साइकिल सं०–UP31 AR 0907 सुपर स्पलेण्डर रंग सिल्वर लिये हुये व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम व पता अजय बताया तथा मौके पर पकड़े गये व्यक्ति अजय उपरोक्त के कब्जे से बरामद हुयी मो०सा० उपरोक्त को ई–चालान ऐप से चैक किया गया तो जिसका इंजन नं०–JA05EGH9C30228 व चैसिस नं० MBLJAR031H9C29118, जो शुभम तिवारी पुत्र अनूप कुमार तिवारी नि० ग्राम गोकुलपुरी गढ़ी रोड थाना कोतवाली सदर खीरी के नाम पंजीकृत होना पाया गया। मौके पर ही अभियुक्त अजय उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि यह गाड़ी उसने जिलाउद्दीन के साथ मिलकर लखीमपुर शहर से करीब 10–11 महीने पहले चोरी की थी। उक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना कार्यालय से जानकारी की गयी तो थाना स्थानीय के किसी अभियोग से सम्बन्धित होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुयी। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से बरामद मोटर साइकिलों के थाना स्थानीय के मु०अ०सं०–114/2026 धारा–303(2) बी०एन०एस०, मु०अ०सं० 113/2026 धारा–303(2) बी०एन०एस०, मु०अ०स०–583/2025 धारा–303(2) बी०एन०एस० में धारा–317(2), 317(5) की वृद्धि की जाती है तथा धारा 317(2), 317(5) से सम्बन्धित मोटर साइकिल सं०–UP31AR 0907 सुपर स्पलेण्डर रंग सिल्वर के सम्बन्ध में डी०सी०आर० को प्रसारण करने हेतु रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण को बाकायदा वाजाफ्ता अन्तर्गत धारा–303(2), 317(2), 317(5) बी०एन०एस० के अपराध का बोध कराते हुये समय 2.58 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के समय मा० सर्वोच्च न्यायलय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की सूचना परिवारिजनों को जरिये उचित माध्यम भेजी जा रही है। नावक्त होने के कारण मौके पर कोई गवाह नहीं मिले। फर्द मौके पर उचित प्रकाश में उ०नि० द्वारा बोल–बोलकर का० गौरव पाठक से लैपटाप पर टाईप करायी गयी। वादी की उक्त तहरीर (फर्द बरामदगी) के आधार पर सम्बन्धित थाने पर जिलाउद्दीन, रामभूखन, अक्षय कुमार व अजय के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 317(2), 317(5) बी०एन०एस० में पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा बेगुनाह हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का थाना कोतवाली लखीमपुर में पंजीकृत उपरोक्त अपराध के तथ्यों से कोई वास्ता या सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को महज सहअभियुक्त जिलाउद्दीन की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। कथित बरामदगी साजिशी एवं फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त की मोटर साईकिल रिपेयरिंग की

ग्राम बुढ़नापुर में एस०एस०बी० कैम्प के सामने दुकान है। पुलिसकर्मी प्रार्थी/अभियुक्त से मोटर साइकिल की रिपेयरिंग कराया करते थे तथा मजदूरी नहीं देते थे, प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मजदूरी मांगने पर प्रार्थी/अभियुक्त को धमकी दी थी कि उसे देख लेंगे। प्रार्थी/अभियुक्त को ग्रामीण दलबंदी के कारण पुलिस कोतवाली को हमवार कर रंजिशन फर्जी फंसा दिया गया है। थाना कोतवाली की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को खाली हाथ घर से पकड़ लायी तथा फर्जी कथानक रचकर प्रार्थी/अभियुक्त का फर्जी चालान कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का वास्तविक नाम लच्छू है, जिसके अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थी/अभियुक्त के पास मौजूद है। प्रार्थी/अभियुक्त को अजय नाम से फर्जी चालान कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सजायाफ्ता नहीं है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है तथा प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रश्नगत मामले में सहअभियुक्त जियाउद्दीन को पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साईकिल सहित पकड़ा जाना तथा उसके बताने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना व कुल चार मोटरसाइकिलें बरामद होना दर्शित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सहअभियुक्त के बताने के आधार पर लाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अजय द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 50,000/–रुपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू,

सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अन्तर्गत आपराधिक अपील सं०– 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनांक–11.03.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 16:28:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court